रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.29(16) न्याय/2017 जयपुर, दिनांकः 30-5-18

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र0सु./अनु–3/2017 दिनांक 29.11.2017 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय पद की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट संख्या	रोल नं.	जन्म तिथि
1	रमेश कुमार बाज्या	जगन्नाथ बाज्या	BC	1025	207785	06.01.1991

इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में चयनित होने पर अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर निम्न अधिसूचनाओं में अंकित प्रावधानों के अनुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

वित्त नियम विभाग की अधिसूचनाऐं:–

1. एफ.12(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006
2. एफ.16(2)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006
3. एफ.13(1)एफ.डी/रूल्स/03 दिनांक 13.03.2006
4. एफ.6(6)एफ.डी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006
5. एफ.16(5)एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006
6. एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006

तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचनाऐं:–

1. प.7(2)कार्मिक/ए–11/2005 दिनांक 20.01.2006
2. प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.06.2006

उक्त नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:–

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य विविध याचिकाओं/अपीलों में होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगी।
2. उक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.7(2)कार्मिक/ डीओपी/ए–2/05 दिनांक 20.01.2005 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.14(1)वित्त नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015,प. 15(1) वित्त/ रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेगें। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 14,600/– प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त अभ्यर्थी को लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पे–बेण्ड नं.–1 (5200–20200)–ग्रेड पे नम्बर 9–2400–L–5 के अन्तर्गत नियुक्ति दी गई है।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह के अन्दर अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ कर दी जायेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी **यदि अभ्यर्थी पूर्व में राज्य सरकार का कर्मचारी है तो उक्त शर्त लागू नहीं होगी।**
5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
6. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय–समय पर संशोधित सेवा नियमों के अधीन रहेगी।
7. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने का वचनबंध प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।

9. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, जो उनके संबंधी न हो।
10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे तथा आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं तो राज्य सरकार इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
13. अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी, परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई ही मान्य होगी तथा जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
15. अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
16. उक्त अभ्यर्थी कार्यग्रहण करते समय अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र मेडिकल ज्यूरिस्ट/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर जिस मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पदस्थापन किया है वहॉ पर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
17. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों /सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

इनके चरित्र सत्यापन रिपोर्ट इस विभाग में रख ली गई है। उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन लिपिक ग्रेड–द्वितीय के पद पर निम्न प्रकार से किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम सर्व श्री	अधिकरण का नाम
1	रमेश कुमार बाज्या	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, **झालावाड़**

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 29.11.2017 के क्रम में।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, **झालावाड** को प्रेषित कर निवेदन है कि अभ्यर्थी को ज्वाईन कराते समय मूल दस्तावेजों एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच अपने स्तर पर कर संतुष्टि कर लें कि इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही हैं।
4. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, झालावाड।
5. श्री रमेश कुमार बाज्या पुत्र श्री जगन्नाथ बाज्या, 18, बाज्या की ढाणी मु. पो. बोराज, तह. मैजमाबाद, जिला जयपुर पिनकोड 303338
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव